

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित सपान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
1	2	3	
1.	कुमारी नाहिदा परवीन अध्यापक शास.उमावि. बेरछा जिला शाजापुर	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र. 1903 दि. 15.6.09	नगर गालिका परिषद सीहोर जिला सीहोर जा.क्र. 2196 दि. 10.6.09 शास.म.ल.बा.क.उमावि.(मा.वि) शास.हाईस्कूल ग्वालटोली/कस्तुरबा
2.	श्रीमती शबाना परवीन अध्यापक(विज्ञान) शास.पू.मा.शाला. कुम्हारी जिला शहडोल	जिला पंचायत शहडोल जिला शहडोल जा.क्र. 3998 दि. 18.7.08	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 6941 दि. 16.7.08 शास. हाईस्कूल धुन्सौर
3	श्री अजय कुमार राजोरिजा सहायक अध्यापक शा.मा.वि. रूपखेडा जिला खरगोन	जनपद पंचायत बडवाह जिला खरगोन जा.क्र. 1931 दि. 08.06.09	जनपद पंचायत पंधाना जिला खंडवा जा.क्र. 126 दि. 21.05.09 शास.जनपद प्रा.शा. बिलूद
4	श्री दिनेश कडोले सहायक अध्यापक शास.जनपद प्रा.शा. बिलूद, जिला खंडवा	जनपद पंचायत पंधाना जिला खंडवा जा.क्र. 126 दि. 21.05.09	जनपद पंचायत बडवाह जिला खरगोन जा.क्र. 1931 दि. 08.06.09 शा.मा.वि. रूपखेडा
5	श्रीमती शहनाज खान अध्यापक शा.न.मा.वि. दहेला जिला अशोकनगर	जिला पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र. 7094 दि. 19.09.08	जिला पंचायत गुना जिला गुना जा.क्र. 198 दि. 15.06.09 शा.मा.वि. पगारा
6	श्रीमती सरोजनी तिकी सहायक अध्यापक शा.प्रा. शा. घटरा जिला छतरपुर	जनपद पंचायत बारीगढ़ जिला छतरपुर जा.क्र. 124 दि. 29.05.09	जनपद पंचायत आरोन जिला गुना जा.क्र. -1 दि. 19.06.09 शा.मा.वि. अमोदा
7	श्रीमती सरिता बिहारे, सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. मंगवारी जिला होशंगाबाद	जनपद पंचायत होशंगाबाद जिला होशंगाबाद जा.क्र. 2390 दि. 19.06.09	जनपद पंचायत मुलताई जिला बैतूल जा.क्र. 2431 दि. 13.01.09 शा.प्रा.शा. पिपरिया
8	श्रीमती भावना शर्मा, सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. बेरखेडी जिला गुना	जनपद पंचायत बमोरी जिला गुना जा.क्र. 582 दि. 16.06.09	नगर पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी जा.क्र. -1 दि. 17.06.09 शा.प्रा.वि. पिछोर
9	श्रीमती मंजूलता शर्मा, सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. कंचनपुरा जिला अशोकनगर	जनपद पंचायत ईसागढ़ जिला अशोकनगर जा.क्र. 1052 दि. 18.06.09	नगर पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी जा.क्र. -2 दि. 17.06.09 शा.बा.प्रा.वि. पिछोर

10	श्रीमती पार्वती मालवीय, सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सिराडी जिला सीहोर	जनपद पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र. 2697 दि. 11.06.09	जनपद पंचायत घटिया जिला उज्जैन जा.क्र. 1029 दि. 17.06.09 शि.मा.प्रौन्नत शा. दत्तपडा
11	श्रीमती अंजना सक्सेना, अध्यापक (कला) शा.उ.मा.वि. मोहनिया जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 4063 दि. 27.05.09	नगर पालिक निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र. 735 दि. 15.06.09 शा.पी.के.कन्या उमावि रीवा
12	श्रीमती ज्योति यादव, सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. नकवाडा जिला हरदा	जनपद पंचायत हरदा जिला हरदा जा.क्र. 278 दि. 07.02.09	जनपद पंचायत होशंगाबाद जिला होशंगाबाद जा.क्र. 417 दि. 28.01.09 शा.प्रा.शा. दमदम
13	श्रीमती श्रद्धा बेदी, सहायक अध्यापक शा.मा.शा. घुरेरी जिला उज्जैन	जनपद पंचायत बडनगर जिला उज्जैन जा.क्र. 1123 दि. 10.06.09	नगर पालिका परिषद सीहोर जिला सीहोर जा.क्र. 2405 दि. 24.06.09 शा.प्रा.शा. संजयनगर मण्डी शा.मा.शा. कस्तूरबा/सरदार पटेल
14	श्री धर्मन्द्र बाथम, सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. दौलतपुरा जिला श्योपुर	जनपद पंचायत विजयपुर जिला श्योपुर जा.क्र. 1585 दि. 01.06.09	जनपद पंचायत भितरवार जिला ग्वालियर जा.क्र. 133 दि. 04.02.09 शा.प्रा.वि. मेहगांव
15	श्री अनिल कुमार सहायक अध्यापक शा.मा.वि. मेहगांव जिला ग्वालियर	जनपद पंचायत भितरवार जिला ग्वालियर जा.क्र. 133 दि. 04.02.09	जनपद पंचायत विजयपुर जिला श्योपुर जा.क्र. 1585 दि. 01.06.09 शा.मा.वि. दौलतपुरा
16	श्रीमति अनिता पनिका सहायक अध्यापक कन्या प्राथ. पाठशाला पडरी बैदन जिला सिंगरौली	जनपद पंचायत बैदन जिला सिंगरौली जावक कं 3432 दि. 22.12.08	जनपद पंचायत सीधी जिला सीधी जावक कं 1914 दि. 25.08.09 शा.प्रा.शा.बहेरहिया
17	श्रीमति सुधा देवरिया अध्यापक शा.क.मा.शा. सियरमऊ जिला रायसेन	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जावक कं 2328 दि. 19.06.09	नगर पालिका परिषद बडवाह जिला खरगोन जावक कं 392 दि. 15.06.09 शा.क.उमावि.बडवाह
18	श्रीमती लक्ष्मी रेले सहायक अध्यापक शा.पूर्व मा.शाला सलैया जिला उमरिया	जनपद पंचायत करकेली जिला उमरिया जा.क्र. 350 दि. 06.06.09	जनपद पंचायत पन्ना जिला पन्ना जा.क्र.668 दि. 30.05.09 शा. प्राथ. शाला धनौजा शा.प्राथ. शाला रमखिरिया
19	श्रीमति उर्मिला नाग सहायक अध्यापक प्राथ.शाला भौरा जिला विदिशा	जनपद पंचायत सिरोंज जिला विदिशा जावक कं 1290 दि. 26.07.08	जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज जिला रायसेन जावक कं 1183 दि. 01.07.09 शा.प्राथ.शाला इराया खुर्द/पदौनिया
20	श्रीमती भावना परिहार अध्यापक शा.उ.मा.वि. सीतामउ जिला मंदसौर	नगर पंचायत सीतामउ जिला मंदसौर जा.क्र. 950 दि. 26.06.09	जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 4653 दि. 26.06.09 शा.हाईस्कूल मगरखेडी/डकाच्या शा.उ.मा.वि. चंद्रावतीगंज
21	श्रीमती फिरोजा नागौरी सहायक अध्यापक शा.उर्दू प्रा.वि. क्र. 1 महिदपुर जिला उज्जैन	नगर पालिका परिषद महिदपुर जिला उज्जैन जा.क्र. 1238 दि. 08.10.08	जनपद पंचायत सोनकच्छ जिला देवास जा.क्र. 1323 दि. 21.08.08 शा.प्रा.वि. कुशवाहनगर गन्धर्वपुरी शा.उन्नत प्रा.वि. कमालपुरा

22	श्रीमती सैयद रोशन आरा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. क्र. 1 सोनकच्छ जिला देवास	नगर पंचायत सोनकच्छ जिला देवास जा.क्र. 1559 दि. 01.10.08	नगर पालिका परिषद शुजालपुर जिला शाजापुर जा.क्र. 2092 दि. 08.10.08 शा.क.मा.वि. शुजालपुर
----	--	---	--

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का रिक्त होने एवं विषयमान की पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका क्र-2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
आयुक्त द्वारा अनुमोदित



08.7.09
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 8.7.09

पृष्ठा. क्र0/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./09/2009/288
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।


08.7.09
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./१/२००९/२८९

भोपाल, दिनांक- ८.७.०९


//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ १-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक=८:११:२००९ एवं २१:१२:२००९ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	१	२	३
१.	श्रीमती श्यामा धुरिया वरिष्ठ अध्यापक (इतिहास) शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	नगर पंचायत नसरुल्लागंज जिला सीहोर जा.क्र. ६१४ दि. १५.०६.०९	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. ०७ दि. २२.०६.०९ शा.उ.मा.वि. अहमदाबाद शा.उ.मा.वि. मालीखेडी

संविलियन की शर्तें -

१. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
२. तालिका एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
३. तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
४. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
५. तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
६. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता तालिका क्रमांक-३ में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
७. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का रिक्त होने एवं विषयमान की पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
८. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।
९. तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
१०. वर्ष २००१ के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक ३२७६/२००७ एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
११. तालिका क्र २ एवं ३ में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
आयुक्त द्वारा अनुमोदित


०८.७.०९
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारीएवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक की ओर सूचनार्थ।


४.७.०९
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए/संवि./14/2009/285

भोपाल, दिनांक- 8.7.09

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती मन्जुला शर्मा, अध्यापक (विज्ञान) शा. मावि माचलपुर (पिपलोदी) जिला-राजगढ़	जिला पंचायत राजगढ़ जिला-राजगढ़ जा.क्र. 270, दि.11.06.09	जिला पंचायत जबलपुर जिला-जबलपुर जा.क्र. 4033, दि.24.06.09 शा. मा.शा. सिवनी टोला
2	श्रीमती तसनीम आरा खॉन अध्यापक (विज्ञान) शा. बालक मावि पचोर जिला-राजगढ़	नगर पंचायत पचोर जिला-राजगढ़ जा.क्र. 610, दि.27.05.09	जिला पंचायत शाजापुर जिला-शाजापुर जा.क्र. 1952, दि. 17.06.09 शा. नावि बिकलाखेड़ी
3	श्री रमाकान्त गुर्जर, (विकलांग) अध्यापक शा. मावि मूलीखेड़ा जिला-शाजापुर	जिला पंचायत शाजापुर जिला-शाजापुर जा.क्र. 4127 दि.25.05.09	जिला पंचायत राजगढ़ जिला-राजगढ़ जा.क्र. 267 दि.11.06.09 शा. हाई स्कूल बडोदिया तालाब


संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों कार्यमुक्त न किया जाए ।



5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जादक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



08.7.09
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ./क्र0/श.क./ए/संवि./14/2009/286
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक- 8.7.09

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. कलेक्टर, जिला-राजगढ़/शाजापुर एवं जबलपुर मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन-अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि-आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
6. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़/शाजापुर एवं जबलपुर मध्यप्रदेश ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
9. संबंधित उपर्युक्त तालिका के कालम-2 में वर्णित अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


08.7.09

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/संवि./ए/०१/०९/ २७५

भोपाल, दिनांक- ०३/०७/०९

//आदेश//


म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ १-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एव कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	१	२	३
१	श्रीमती रेखा पाण्डे वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) शा.बा.उ.मा.वि.अकोदिया मण्डी जिला शाजापुर	नगर पंचायत अकोदिया मंडी शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र. ४६३ दि. २७.०५.०९	नगर पालिक निगम उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र. ९६७ दि. ०९.०६.०९ शा.उ.मा.वि. महाराजवाड़ा क्र. १


संविलियन की शर्तें -

१. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
२. तालिका एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जादेगा ।
३. तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
४. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
५. तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
६. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता तालिका क्रमांक-३ में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
७. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
८. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
९. तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
१०. वर्ष २००१ के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक ३२७६/२००७ एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
११. तालिका क्र २ एवं ३ में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


उपसंचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक की ओर सूचनार्थ।


०३/७/०९
उपसंचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश